जी.सी.एम.एस नम्बर 2019/00097 अनवान सरकार बनाम मंगलदास अंतर्गत धारा 177 आर. टी.एक्ट, 1955

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 8/7/24 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि ग्राम खिंवाड़ा, तहसील रानी के खसरा नंबर 301/1573 रकबा 0.0297 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम अप्रार्थीगण की खातेदारी कृशि भूमि है। उक्त भूमि पर खातेदार द्वारा प्राईवेट अस्पताल मय मकान बनाकर गैर–कृशि प्रयोजन उपयोग में लिये जाने से पटवारी हल्का, खिंवाड़ा व आई एल आर देवली की मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, रानी ने बहैसियत भूमिधारी उक्त प्रार्थना–पत्र पेश कर अप्रार्थी द्वारा किया गया कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल के बावजूद आदेशिका दिनांक 31.01.2021 के अनुसार वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे हैं। उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम खिंवाड़ा, तहसील रानी के खसरा नंबर 301/1573 रकबा 0.0297 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम कृशि भूमि है, जबकि पटवारी हल्का खिंवाडा की मौका रिपोर्ट अनुसार वर्णित भूमि पर प्राईवेट अस्पताल मय मकान बना हुआ है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खिंवाड़ा के खसरा नंबर 301/1573 रकबा 0.0297 किस्म चाही प्रथम को राजकीय सिवाय चक घोषित किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, रानी आदेश की पालना मय भूमि राजकीय सिवाय चक दर्ज कर कब्जा राज लिया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। आदेश प्रति तहसीलदार, रानी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>सहायक कलेक्टर<br>(S.D.O.) रानी | |